संख्याः 30/2017 /906/तीस-1-2017-5(42)/2015

प्रेषक,

प्रकाश बिन्दु,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 28 सितम्बर, 2017**

विषयः बस स्टेशन उतरौला, जनपद-बलरामपुर के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-666बी/डीए/पूर्व/17-27जेईटी/वि०/15-16, दिनांक 14 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-03/2016/77/तीस-1-2016-5(42)/2015, दिनांक 25 जनवरी, 2016 द्वारा बस स्टेशन उतरौला, जनपद-बलरामपुर के निर्माण कार्य कराये जाने के लिए आगणन लागत रू0 288.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 120.00 लाख (रूपये एक करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। बस स्टेशन उतरौला, जनपद-बलरामपुर के निर्माण कार्य हेतु यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2017 द्वारा बस स्टेशन उतरौला, जनपद-बलरामपुर के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू० 168.26 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बस स्टेशन उतरौला, जनपद-बलरामपुर के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत कुल लागत रू० 288.26 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू0 168.26 लाख (रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजना को अनुमोदित लागत में ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्वि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

(2) शासन द्वारा अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि आहरित किये जाने के पश्चात बैंक/पी0एल0ए0 डिपाजिट आदि खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा पर इस संबंध में समय-समय पर

http://shasanadesh.up.nic.in

दिये गये निर्देशो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(4) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ एवं उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा। कार्यो की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(5) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा।

(6) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश-03/2016/77/तीस-1-2016-5(42)/2015, दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंश पूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशा०संख्या-ई-9-334/दस/2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह०
(प्रकाश बिन्दु)
विशेष सचिव।

संख्याः 30 /2017/ 906 /(1)/तीस-1-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
12. गाई फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in